क्रम संख्या–57(ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 22 अप्रैल, 2006 ई0
बैशाख 02, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 728/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 22 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 पर दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 08, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2006)

यह इष्टकर है कि उत्तरांचल में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के एकीकृत स्वरूप के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षणों की संरचना एवं प्रक्रिया के विनियमन, पर्यवेक्षण और उनके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद् की स्थापना करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित हो–

भाग–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2– इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"परिषद"** से विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल अभिप्रेत है,

(ख) **"केन्द्र"** से परिषद द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि, परिसर भी सम्मिलित है,

(ग) **"निदेशक"** से विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल का निदेशक अभिप्रेत है,

(घ) **"जिला शिक्षा अधिकारी"** से जिले का जिला शिक्षा अधिकारी अभिप्रेत है, (ड.) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के **"कर्मचारी"** से किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो,

(च) **'संस्था का प्रधान'** से संस्था का, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक अभिप्रेत है,

(छ) **"संस्था"** से मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय अभिप्रेत हैं,

(ज) **"राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था"** से राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं अभिप्रेत है,

(झ) **"अन्तरीक्षक"** से परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्राध्यक्ष की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया अन्तरीक्षक अभिप्रेत है,

(ट) **"स्थानीय निकाय"** से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद अभिप्रेत है,

(ठ) **"अनुरक्षण अनुदान"** से संस्था का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे,

(ड़) **"प्रबन्धाधिकरण"** से मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में प्रशासन योजना के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(ढ़) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ण) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में **"सम्पत्ति"** के अन्तर्गत संस्था की, पूर्णतः या अन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर सम्पत्तियाँ हैं और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और सम्पत्ति सम्मिलित है, जो प्रबन्ध तंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो तथा इसमें उदभूत होने वाले अन्य अधिकार और हित भी हैं,

(त) **"मान्यता"** से परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रदान की गई मान्यता अभिप्रेत है,

(थ) **"मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक"** से मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक अभिप्रेत है,

(द) **"विनियम"** से इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनाये गए विनियम अभिप्रेत है,

(ध) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या कर्मचारी के **"वेतन"** से अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय संदत उपलब्धियों का योग अभिप्रेत है, और इसमें महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी सम्मिलित है,

(न) **"राज्य सरकार"** से उत्तरांचल सरकार अभिप्रेत है,

(प) **"केन्द्र अधीक्षक"** से परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए परिषद द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है,

(फ) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के **"अध्यापक"** से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक अभिप्रेत है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप नियमित रूप से सेवायोजित हो,

भाग दो

विद्यालयी शिक्षा की विभागीय संरचना, कृत्य और शक्तियां

विद्यालयी शिक्षा की विभागीय संरचना, कृत्य और शक्तियां

3– (1) राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मण्डलीय अपर निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड स्तर अथवा न्याय पंचायत स्तर अथवा समुचित स्तर पर क्रमशः विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल की स्थापना कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल के लिए ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार ठीक समझे।

(3) उपधारा (2) में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कृत्य

4– (1) विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षक–शिक्षा, शैक्षिक सहयोग तथा शैक्षिक गुणवत्ता के विकास संबंधी कृत्यों का निर्वहन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए निदेशक/अपर निदेशक तैनात कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात–

(क) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना;

(ख) पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शिक्षण सामग्री की संरचना करना;

(ग) शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना;

(घ) विभागीय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम एवं सामग्री की संरचना करना;

(ङ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा अन्य सामग्री परिषद के विचारार्थ प्रेषित करना;

(च) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना;

(छ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री, शोध कार्यों का प्रकाशन करना;

(ज) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक–शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना;

(झ) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना;

(ञ) शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना;

(ट) सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन करना;

(ठ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना;

(ड) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण रखना;

(ढ) अपने कार्यों तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए वार्षिक अनुमानों तथा लेखों को तैयार करना;

(ण) विभिन्न परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) को संचालित करना और कराना;

(त) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित होने वाली अन्य परियोजनाओं से समन्वय स्थापित करना;

(थ) राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्य योजनाओं में सहयोग करना;

(द) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज इन एजूकेशन (आई.ए.एस.ई.) तथा कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.) से समन्वय स्थापित करना;

(ध) विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना;

(न) शैक्षिक उन्नयन हेतु परिषद/राज्य सरकार को सुझाव प्रेषित करना।

भाग– 3

परिषद की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि, अन्य शर्तें एवं उसकी शक्तियाँ

परिषद की स्थापना

5– उस तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना कर सकेगी।

परिषद का संगठन

6–(1) परिषद में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्––

(क) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा– पदेन सभापति;

(ख) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान, जिनमें एक राजकीय (बालक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के प्रधान हों;

(ग) प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन प्रधान जिनमें एक राजकीय (प्राथमिक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के प्रधान हों;

(घ) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक, जिनमें एक राजकीय (बालक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के शिक्षक हों, तथा प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय (प्राथमिक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के शिक्षक हों ;

(ङ) उत्तरांचल में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] प्रत्येक विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक–एक प्राध्यापक;

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(ज) मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों में से, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो सदस्य;

(ञ) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, चार व्यक्ति;

(ट) संस्कृत शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक व्यक्ति;

(ठ) उर्दू शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक व्यक्ति;

(ड) उद्योग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(ढ) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, पदेन;

(ण) वित्त विभाग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक मनोवैज्ञानिक;

(थ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक जिला शिक्षा अधिकारी;

(द) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राचार्य, तथा दो शिक्षक–प्रशिक्षक;

(ध) राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रधानाचार्य;

(न) महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून का प्राचार्य, पदेन;

(प) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(फ) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तरांचल का अपर निदेशक, पदेन;

(ब) अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, पदेन;

(भ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(म) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(य) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(र) परिषद का सचिव, पदेन, जो परिषद का सदस्य–सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए शिक्षा से सम्बद्ध चार व्यक्तियों से अनधिक को परिषद का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर लिया गया है:

सदस्य का हटाया जाना

7– (1) राज्य सरकार परिषद से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में –

(क) कार्य करने से इंकार करता है,

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है,

(ग) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है जिसके कारण उसका पद पर बना रहना लोक हित में हानिकारक है, या

(घ) सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त है।

(2) इस धारा के अधीन हटाये जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है तब हटाये गए सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसा कोई सदस्य जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, परिषद के अधीन सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुनर्नियुक्त न हो सकेगा।

सदस्यों की पदावधि

8– पदेन सदस्यों को छोडकर प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें;

परन्तु यह कि सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

9– परिषद के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है नाम निर्दिष्ट किया था और आकस्मिक रिक्ति में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति परिषद का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

परिषद की शक्तियां

10– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात–

(क) इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षक–शिक्षा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना;

(ख) ऐसे पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का, पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण;

(ग) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की रचना, परिष्कार अथवा संशोधन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से अनुरोध करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना:–

(एक) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे परिषद द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या

(दो) जो अध्यापक हों, या

(तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों;

(ङ) अपने द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(च) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना, शिक्षक प्रशिक्षण विषयक परीक्षाओं एवं विभागीय परीक्षाओं का संचालन करना;

(छ) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(ज) ऐसे शुल्क माँगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायं;

(झ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट माँगना;

(ट) संस्थाओं द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों एवं अपीलों पर कार्यवाही करना;

(ठ) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित होने वाली अन्य परियोजनाओं से समन्वय स्थापित करना;

(ड) राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्य योजनाओं में सहयोग करना;

(ढ) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज इन एजूकेशन (आई.ए.एस.ई.) तथा कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.) से समन्वय स्थापित करना;

(ण) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना अथवा सहयोग प्राप्त करना, जो परिषद अवधारित करे;

(त) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना;

(थ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री, शोध कार्यों का प्रकाशन करना;

(द) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक–शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना;

(ध) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना;

(न) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हो;

(प) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(फ) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संगठित किए गए परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

(ब) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य शक्ति का प्रयोग।

भाग– चार

नये विषयों अथवा उच्चतर कक्षाओं के लिए मान्यता

किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

11– धारा 10 के खण्ड (ङ) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकती है।

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन

12–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण—

(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 10 के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गई है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है, उसमें शिक्षा देने के लिए;

(दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए,

अपने स्रोत से सेवायोजित कर सकता है।

(2) धारा 11 के अधीन कोई मान्यता और अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति जिला शिक्षा अधिकारी को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, अनुपालन न किया जाय।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हताएं, जैसी विहित की जायं, न रखता हो।

(5) किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 12 के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी।

छूट

13–इस अधिनियम की धारा 42 से 51 की कोई बात धारा 12 के अधीन किस संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

भाग– पाँच

डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों का अनाधिकृत प्रयोग, दान और शास्ति

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

14– कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक

15– किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 14 अथवा 15 का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

16– धारा 14 अथवा 15 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग

17– जहां किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

भाग– छः

राज्य सरकार की शक्तियां

राज्य सरकार की शक्तियां

18–(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने की शक्ति होगी।

(2) परिषद राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगी।

(3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार परिषद को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।

भाग– सात

परिषद के सभापति की शक्तियां, सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कृत्य तथा परिषद की समितियों का गठन तथा समितियों को शक्तियां प्रतिनिहित किया जाना

परिषद के पदाधिकारी

19– परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:–

(1) सभापति,

(2) सचिव,

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा परिषद का पदाधिकारी घोषित किया जाये।

सभापति की शक्तियां और कृत्य

20–(1) सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है, और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) सभापति को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर, जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।

(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायं।

सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कृत्य

21– (1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसी नियमों में विहित की जाये।

(2) परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती हैं, जिसके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हों।

(4) वह परिषद का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।

(6) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायं।

समितियों का गठन

22–(1) परिषद विनियमों में विहित रीति से निम्नलिखित समितियों को गठित कर सकेगी। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियां गठित की जा सकेगी।

(2) परिषद् की निम्नलिखित समितियां होंगी, अर्थात–

(क) पाठ्यचर्या समिति,

(ख) पाठ्यकम समिति,

(ग) परीक्षा समिति,

(घ) परीक्षाफल समिति,

(ङ) मान्यता समिति, और

(च) वित्त समिति।

(3) पूर्वोक्त समितियों में केवल परिषद के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक–एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके:–

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान,

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शिक्षक,

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में उल्लिखित प्राध्यापक,

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) में उल्लिखित विधायक

(ङ) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ), (ट), (ठ) तथा (ड) और धारा 6 उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब), (भ), (म) तथा (य) में उल्लिखित व्यक्ति:

परन्तु यह कि परिषद का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक समितियों का सदस्य नियुक्त नहीं हो सकेगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, परिषद अन्य समितियां, यदि कोई हों, जो विहित की जायं, गठित कर सकेगी और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियां गठित की जा सकेगी।

(5) पूर्वोक्त समितियों का गठन ऐसी रीति तथा ऐसी अवधि के लिए किया जा सकेगा, जो विहित किया जाय।

परिषद द्वारा समितियों को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग

23– इस अधिनियम द्वारा परिषद को प्रदान किए गए ऐसी अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें परिषद ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेंगे और परिषद ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

विनियम बनाने की परिषद की शक्ति

24–(1) परिषद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबंध करने के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात –

(क) समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य,

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों का प्रदान करना,

(ग) परिषद की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें,

(घ) समस्त प्रमाण–पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद की परीक्षाओं में प्रविष्टि किए जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों के पाने के पात्र होंगे,

(च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और अधिकार,

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना,

(ञ) संस्थाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा मान्यता के सम्बन्ध में ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जिला, मण्डल स्तर पर समितियों का गठन तथा उनको अधिकारों का प्रतिनिधायन,

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके,

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए जायेंगे,

(ड) अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन की रचना।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई विनियम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

परिषद की उपविधियां बनाने की शक्ति

25–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध करने के लिए उपविधियां बना सकती है, अर्थात –

(क) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या का अवधारण,

(ख) ऐसे विषय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) राज्य सरकार परिषद या उसकी समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकेगी।

रिक्तियों आदि से परिषद और उसकी समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

26– परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही परिषद में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद या उसकी समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना

27– परिषद या उसकी समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

28–(1) परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिए ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।

भाग– आठ

प्रशासन योजना, प्रबन्ध समिति का कार्यकाल, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

प्रशासन योजना

29–(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है), जिसे मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निदेशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किए जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है, तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 30 और 31 के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा ऐसी जाँच करने पर, जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

परन्तु यह कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– इस प्रश्न का अवधारण करने में, कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

प्रशासन योजना का अनुसूची से असंगत न होना

30 – किसी ऐसी संस्था, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना अनुसूची एक में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी।

प्रशासन योजना का निदेशक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना

31– जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी समय धारा 29 के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गई हो और ऐसी प्रशासन योजना अनुसूची एक के उपबन्धों से असंगत हो, वहां संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः महीने के भीतर प्रशासन योजना का प्रारूप प्रथम अनुसूची में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तैयार कर निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रशासन योजना में संशोधन या परिवर्धन की अपेक्षा और प्रशासन योजना का स्वीकार किया जाना

32– (1)– धारा 29 अथवा धारा 31 के अधीन प्रस्तुत प्रशासन योजना में निदेशक किसी परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गए किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ, जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, या तो धारा 29 अथवा धारा 31 के अधीन प्रस्तुत किये गए प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा, या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। निदेशक प्रशासन योजना प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गई समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

33– इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाई गयी प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक प्राविधानित नहीं होगा।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना

34– (1) निदेशक स्वयं अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण कर अथवा करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि:–
(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के, जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी–वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन–सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है, व्यवस्था करने में तीन वर्ष तक लगातार विफल रही है, या

(पाँच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्ध का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 31 के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुमोदित की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 32 के अधीन नोटिस दिए जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है, तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिए परिषद को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जैसा निदेशक समय–समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय–समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पाँच वर्ष से अधिक न हो।

परन्तु यह और कि यदि उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताये कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध–समिति द्वारा बताये गए कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हो, वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किए जाने की तारीख को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील की तारीख को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त तारीख से स्थगित समझी जायेगी,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पाँच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु यह कि निलम्बन उस तारीख से, जब वह प्रभावी हो, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– (एक)– सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

(दो)–उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य–क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा,

परन्तु यह कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किए गए निदेश के अनुसरण में परिषद द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

35– (1) जहाँ धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहाँ––

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते, यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिए जाने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 34 में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण–कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन– सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियाँ, यदि कोई हो, सम्मिलित है और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी हैं और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

भाग– नौ
अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन समिति का गठन

अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

36– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक, जिला शिक्षा अधिकारी को रिक्ति की सूचना देने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने और रिक्ति को कम से कम दो दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों में विहित अर्हता उसके पास न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका संदाय ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जायगा।

(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(दो) आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी;

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें पद हेतु नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गए यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान कम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायेगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर देगा और ऐसे परिणामी आदेश देगा, जो आवश्यक हो।

(11) कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था में किसी प्रधान अथवा अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

(ख) संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति

(12) संस्था में लिपिक वर्गीय तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों में विहित की जाय।

चयन समिति का गठन

37– (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी–

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट करे– सभापति;

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, सदस्य ;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है,

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) संस्था में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रान्तीय शिक्षा सेवा संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी

(4) संस्था में समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) ऐसी संस्था का प्रधान;

(दो) संस्था के दो वरिष्ठतम शिक्षक;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो उपयुक्त अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति उपर्युक्त श्रेणियों से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञों की नामिका में नामित किया जायेगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के चयन के लिए ऐसा व्यक्ति संस्था के प्रधान द्वारा नामित किया जायगा।

(5) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) या उपधारा (2) के खण्ड (एक) या उपधारा (3) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा।

(6) प्रत्येक मण्डल के लिए विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायेगी।

(7) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति में किया जायगा,

परन्तु यह कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी।

परन्तु यह और कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) खण्ड (तीन) या उपधारा (2) खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(8) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

38– (1) धारा 36 की उपाधारा (4) और धारा 37 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पाँच सदस्य होंगे,

परन्तु यह कि चयन समिति के सदस्यों में से एक—

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा,

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रकिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गए किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक–

(क) संस्था के प्रधान के मामले में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो, और

(ख) अध्यापक के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो।

(5) जहां मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गए अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है, वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

39– (1) मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:–

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें (जिसके अन्तर्गत जाँच या अपेक्षित जाँच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जाँच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियाँ और नोटिस देकर सेवा समाप्ति किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतन–क्रम तथा वेतनों का संदाय,

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) कोई भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि दण्ड के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करने के पूर्व प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे के भीतर कारण बताये कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की सूचना पाने की तारीख से एक माह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा। यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही जिला शिक्षा अधिकारी की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायेगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वह अपील हुई थी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिए बाध्य होंगे।

(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में—

(क) उसके विरूद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक क़ार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जाँच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उस आदेश की तारीख से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(8) यदि किसी समय जिला शिक्षा अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना बिलम्ब किया जा रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गए निलम्बन के आदेश प्रतिसंहृत कर सकता है।

(9) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि–

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या

(ख) वे पति या पत्नी हो, या

(ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक–दूसरे से सम्बन्धित हों।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति का विनियमितीकरण

40– (1) किसी ऐसे अध्यापक को प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो:–

(क) (एक) समय–समय पर यथासंशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा–2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 7 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 24 मार्च 1999 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था, और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित किया गया था।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार 6 अगस्त 1993 को या उस के पश्चात् किन्तु 26 जनवरी 2005 के पश्चात् नहीं, प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य के रूप में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया हो।

(तीन) प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में मौलिक रिक्ति के प्रति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार तदर्थ आधार पर 07 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 26 जनवरी 2005 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(ख) उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हताएं रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति की तारीख से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक संस्था में निरन्तर कार्यरत् रहा हो;

(घ) नियमितीकरण हेतु गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति की तारीख से यथाअवधारित ज्येष्ठता क्रम में की जायेगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही तारीख को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत अधिक आयु वाले अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।

(3) उपधारा (1) व (2) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति की तारीख से परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) व (2) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसी तारीख को, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायेगा, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ऐसा पद पहले से ही भरा हुआ था या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार चयन कर लिया गया हो।

(6) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि–

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या

(ख) वे पति या पत्नी हो, या

(ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक–दूसरे से सम्बन्धित हों

(7) विनियमितीकरण हेतु चयन समिति – प्रत्येक मण्डल के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) उस मण्डल का मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक – अध्यक्ष

(दो) उस मण्डल का वरिष्ठतम मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक – सदस्य

(तीन) सम्बन्धित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त प्रकार से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो उपर्युक्त श्रेणियों से एक व्यक्ति, जो जिला शिक्षा अधिकारी से अनिम्न स्तर का हो, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा।

अंशकालिक अध्यापक/प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत पी.टी.ए. शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति

41– प्रबन्ध समिति द्वारा 05–09–2003 की तारीख तक अपने निजी स्रोतों से सेवायोजित ऐसे अंशकालिक अध्यापक/पी0टी0ए0 शिक्षक को प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ नियुक्ति दी जायेगी जिनके लिए तत्समय नियमानुसार पद सृजित थे, और जो संगत पदों के लिए विहित अर्हताएँ पूर्ण करते हों एवं जिन्हें राजकोष से मानदेय का संदाय अनुमन्य किया गया हो।

भाग– दस

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

42– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय एतद्पश्चात व्यवस्थित रीति से किया जायेगा।

समय के भीतर और अनाधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का संदाय

43–(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों का इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए वेतन का संदाय बिना किसी काट कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।

(3) यदि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाये तो जिला शिक्षा अधिकारी उसका संदाय इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 45 में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा में उल्लिखित तारीख से दस दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे संदाय के संबंध में समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

44 –(1) जिला शिक्षा अधिकारी किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन संदाय के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी है) माँग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिए दिया जाये तो उसका अनुपालन इस अधिनियम के विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उनमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थित हो,

(ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक सेवायोजन की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थित होने में चूक करने पर उपर्युक्त निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी,

(ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक की सेवाएँ समाप्त हो जायेंगी और वह अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और न ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही अधिनियम में यथास्थिति उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो,

(घ) विशेषतया, और एतदर्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् राज्य सरकार किसी अध्यापक के वेतन के संदाय के लिए धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरदायी नहीं होगी।

(4) प्रबन्धाधिकरण, या उसके चूक करने पर जिला शिक्षा अधिकारी इस अधिनियम या चयन, नियुक्ति या नियुक्ति के अनुमोदन की रीति के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अध्यापक के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को स्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

कतिपय राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं की दशा में वेतन का संदाय करने की प्रक्रिया

45–(1) प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा।

परन्तु यह कि लेखा खोले जाने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट लेखा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी एक चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो तो जिला शिक्षा अधिकारी बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार, और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायें, जिला शिक्षा अधिकारी के निदेशों के अनुसार, अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिए निदेश दे, तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे उक्त लेखा में, ऐसी तारीख तक जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाये तो जिला शिक्षा अधिकारी आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश्य रियायतों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।

(4) उक्त लेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का संदाय,

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,

(ग) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाये।

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन का संदाय के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायेगा।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का संदाय उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक, या सहकारी बैंक न हों, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जायेंगे।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

46–(1) यदि जिला शिक्षा अधिकारी का किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 44 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 43 अथवा धारा 45 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो यह मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को यह सिफारिश कर सकता है के उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाये।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे–

(i) समय–समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो, या

(ii) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है,

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ii) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा और विशेष रूप से धारा 45 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्राधिकृत नियन्त्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार के संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अपील

47– धारा 46 के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

पुनरीक्षण

48– राज्य सरकार धारा 47 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णित किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ माँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे,

परन्तु यह कि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने या उसके अधिक्रमण की अवधि के बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाये।

पदों के लिए अनुमोदन

49– राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।

वेतन के संबंध में दायित्व

50– (1) राज्य सरकार प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी होगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के पश्चात किसी अवधि के संबंध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा उप–धारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो, उस राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था द्वारा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

शास्ति तथा प्रक्रिया

51–(1) यदि धारा 44 के अधीन किसी निदेश अथवा धारा 43 या धारा 45 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाये तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी, अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 43 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो छः माह तक का हो सकता है, या अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) कोई भी न्यायालय मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप–अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

भाग– ग्यारह
प्रकीर्ण

संस्थाओं के कतिपय वर्गो को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति

52–(1) धारा 29, 30, 31, धारा 34 की उपधारा (2) से उपधारा (14) तक के तथा धारा 35 से धारा 51 के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे, या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे और इस प्रकार लागू किए गए उपबन्ध, यदि कोई हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन

53– राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को, सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह परिषद के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

54– इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या विद्यमान समिति या परिषद के या राज्य सरकार के या समिति या परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार या समिति या परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

55– इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

56–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाओं का लागू होना

57– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाएं, जहाँ तक वे शिक्षा के प्रबन्ध से संबंधित हैं, लागू होंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और कर्मचारियों का राज्य सरकार के अधीन होना

58– इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त शिक्षक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिसमें कोई परिवेक्षणीय या निरीक्षणीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी हैं, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे और वे राज्य सरकार के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तें लागू होंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद या स्थानीय निकाय की सम्पत्तियों के संबंध में स्थिति

59– (1) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद की समस्त सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में अन्तरित हो जायेंगी।

(2) जहाँ किसी भवन या उसके भाग पर बेसिक शिक्षा परिषद का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहाँ ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी।

(3) जहां किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बैसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से तत्काल पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यासन था, वहाँ राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से, ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेन्सधारी हुआ समझा जायेगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा पट्टा या अन्य संलेख या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

60– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 तथा उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा निरसित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची एक

(धारा 30 देखिए)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा—

प्रत्येक प्रशासन योजना में–

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;

(2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जाँच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

अनुसूची दो
(धारा 39 तथा 40 देखिए)

सम्बन्धियों की सूची

1–पिता

2–माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)

3–पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)

4–पुत्र–वधू

5–पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)

6–दादा

7–दादी

8–नानी

9–नाना

10–पौत्र

11–पौत्र–वधू

12–पौत्री

13–पौत्री का पति

14–दौमाद

15–नाती

16–नाती की पत्नी

17–नातिन

18–नातिन का पति

19–भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)

20–भाई की पत्नी

21–बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)

22–बहनोई

23–पत्नी (या पति) का भाई

24–ससुर

25–साली या ननद

26–भतीजा

27–भतीजी

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।